XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.... निग. 367–I 15 ....जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-9-2015	1– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र.क. 956/अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 15/01/2015 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता आर.एस. सक्शेना उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए अनावेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में रिकार्डो का अवलोकन किया कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/05/2009 में नक्शा बराबरी हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करते हुए जिन खसरा नंबरों में आवेदक का नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया है उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया हैं न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना पाया जाता है। इस कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश में निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किए जाने में कोई त्रुटि की जाना नहीं पायी जाती है। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/01/2015 स्थिर रखते हुए यह निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.

अपील 367-I-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

दिनेश कुमार सेन बल्द आशाराम सेन
निवासी ग्राम खिमलासा तहसील खुरई जिला सागर **अपीलार्थी**

विरुद्ध

शीलचन्द्र जैन बल्द कुन्दन लाल जैन
निवासी ग्राम खिमलासा तहसील खुरई जिला सागर **प्रतिअपीलार्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

यह कि अपीलार्थी और प्रतिअपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर की न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 965अ/6 वर्ष 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 15–01–2015 के आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करता है।

अपील के आधार

1. यह कि निम्न न्यायालय ने बिना रिकार्ड देखे अपना आदेश पारित कर दियष जो त्रुटिपूर्ण आदेश है और निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि निम्न न्यायालय ने तहसीलदार खुरई का रिकार्ड नहीं देखा जिसमें इश्तहार एवं सूचनापत्र जारी किया गया था और शीलचन्द्र ने प्रकरण में जबाव भी दिया था । यह कैसे मान लिया गया कि प्रतिअपीलार्थी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इश्तहार जारी होने के बाद किसी तरह की कोई आपत्ति प्रकरण में नहीं आई और जब किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आई तो तहसीलदार महोदय ने रिकार्ड दुरूस्ति एवं नक्शा दुरूस्ति के लिए एस.डी.ओ. खुरई के पास प्रकरण भेजा तब वहॉ से प्रकरण श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर के लिए बन्दोवस्त का रिकार्ड जो कि त्रुटिपूर्ण हो गया था उसे सुधारने के लिए भेजा। कलेक्टर महोदय सागर ने यह पाया कि प्रकरण में ग्राम सदरपुर प.ह.नं.11 पुराना ख.नं. 89/13 एवं 89/11 में रकवा 6 एकड़ एवं 0.64 एकड नया नम्बर बन्दोवस्त के बाद 133,139, 127/210 रकवा क्रमशः 0.37, 1.39 एवं 0.68 कुल रकवा 2.44 हेक्टर बनाया गया और